रवींद्र मंच सोसाइटी, जयपुर

संविधान

1. यत: नृत्य , नाटक,संगीत के क्षेत्र के क्रियाकलापों और अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापों के पोषण के लिए एक संगठन स्थापित करना समीचीन समझा गया है, अत: इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में एक सोसाइटी का गठन करने का संकल्प किया जाता है:-
2. नाम : सोसाइटी का नाम रवींद्र मंच सोसाइटी, जयपुर होगा|
3. मुख्यालय : सोसाइटी, रवींद्र मंच भवन , राम निवास बाग़ , जयपुर में किसी अन्य स्थान पर , जैसा कि सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये, रहेगी |
4. लक्ष्य और उद्देश्य : रवींद्र मंच सोसाइटी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठायेगी :-
    1. प्रशासनिक प्रबन्धकीय और वित्तीय व्यवस्था करना और एक सांस्कृतिक केंद्र रूप में रवींद्र मंच,जयपुर के सुचारू संचालन के लिए दिन-प्रतिदिन की कठिनाइयों पर विजय पाना|
    2. रविन्द्र मंच सभागृह (ऑडीटोरियम) में नाटकों, नृत्यों,_विभिन्न कार्यक्रमों ,अन्य कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण को प्रोत्साहित करना और उसमें सहायता देना|
    3. अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए और विशेष रूप से क्षेत्र संस्क्रति की तथा सामान्य रूप से भारतीय संस्क्रति की समृद्धि के लिए,ऐसी ही संस्थओं के साथ सहयोग करना|
    4. रविन्द्र मंच सभागृह, पूर्वाभ्यास कक्ष, ओपन एयर थियेटर और संस्थाओं की बुकिंग विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों , विश्वविधालय, महाविधालय, विधालयों,फर्मों ,संस्थओं और सरकारी विभागों के लिए और आदि उपलब्ध हो तो प्राइवेट व्यक्तिओं के लिए उपलब्ध करना|
    5. सोसाइटी कि सुविधानुसार राजस्थान की उन संस्थओं को ड्रामा , डांस , कला , एवं संस्कृति से सम्बंधित हैं को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
5. सोसाइटी के अधिकार :

    रवींद्र मंच सोसाइटी के निम्नलिखित अधिकार होंगे :-

    (1) अध्यक्ष

    (2) उपाध्यक्ष

    (3) कोषाध्यक्ष

    (4) प्रबंधक / सचिव

6. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष : राजस्थान सरकार का सचिव ,कला , संस्कृति एवं पुरातत्व रविन्द्र मंच सोसाइटी का अध्यक्ष होगा और सम्बंधित अपर मुख्य अभियंता ,सार्वजानिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) का उपाध्यक्ष होगा|

7. रवींद्र मंच सोसाइटी का गठन सरकार द्वारा निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :-

(1) सचिव , कला ,संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार	पदेन अध्यक्ष
(2) सम्बंधित अपर मुख्य अभियंता, सार्वजानिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ)	पदेन उपाध्यक्ष
(3) उप सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग	पदेन सदस्य
(4) उप सचिव वित्त (व्यय -1) विभाग	पदेन सदस्य
(5) उप सचिव कला , संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	पदेन सदस्य
(6) संबंधित अधिशाषी अभियंता सार्वजानिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ)	पदेन सदस्य
(7) सचिव राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ,जोधपुर	पदेन सदस्य
(8) सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी ,जयपुर	पदेन सदस्य
(9) प्रबंधक रविन्द्र मंच, जयपुर	पदेन सदस्य / सदस्य सचिव
(10) नाटक , नृत्य , संगीत और अन्य संस्कृतिक क्रियाकल्पों से सम्बंधित चार अशासकीय व्यक्ति, जो दो वर्ष की कालवधि के लिए सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगें|	सदस्य

8. कोषाध्यक्ष :

(1) प्रबंधक,रविन्द्र मंच सोसाइटी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा |

(2) कोषाध्यक्ष :

1) रविन्द्र मंच सोसाइटी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए मंच की संपत्ति का प्रबंध करेगा और वार्षिक प्राकलन एवं लेखे तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा|

2) रविन्द्र मंच सोसाइटी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनों का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता है जिसके लिए वे मंजूर किये गये हैं |

3) रविन्द्र मंच की और से की गयी समस्त संविदाओं पर हस्ताक्षर करेगा

4) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो रविन्द्र मंच सोसाइटी उसे समनुदेशित की जावें|

9. प्रबंधक :

1) प्रबंधक रविन्द्र मंच का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जायेगी|

2) प्रबंधक रविन्द्र मंच सोसाइटी का और सोसाइटी द्वारा गठित अन्य उप- समितियों का सदस्य-सचिव होगा |

3) प्रबंधक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

(a) मंच के अभिलेखों का और ऐसी अन्य संपत्ति का ,जिसका कि प्रभार रविन्द्र मंच सोसाइटी उसे सौंपे, अभिरक्षक होगा|

(b) रविन्द्र मंच के प्राधिकारियों की ओर से आफ़िशिअल पत्र – व्यवहार करना|

(c) रविन्द्र मंच के प्राधिकारियों की ओर इन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त समस्त समितियों की समस्त बैठकों के समक्ष नोटिस ज़ारी करना|

(d) रविन्द्र मंच के लेखे रखना|

(e) ऐसी प्रक्रिया का ,जो कि सोसाइटी द्वारा विहित की जाये,अनुसरण करते हुए या ऐसी शक्तियों के अधीन , जो कि सोसाइटी के द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाये,आवश्यक स्टाफ़ नियुक्त करना , किन्तु नये पदों का सृजन, वेतनमानों , और सेवा की शर्तों पुनरीक्षण सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा|

10. सोसाइटी की बैठकें:-

(a) रविन्द्र मंच सोसाइटी की बैठक प्रत्येक 6 मास में कम से कम एक बार होगी|

(b) यदि कोई आकस्मिकता उत्पन्न हो तो अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय विशेष – बैठक बुलायी जायेगी |

(c) रविन्द्र मंच सोसाइटी की गणपूर्ति (कोरम) सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होगी |

11. सोसाइटी के कृत्य:-

(1) रविन्द्र मंच के प्राधिकार का प्रयोग करना|

(2) रविन्द्र मंच और उसके समक्ष के प्रशासन के नियंत्रण और पर्यवेक्षणके लिए उत्तरदायी होना|

(3) रविन्द्र मंच के कार्यक्रमों और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट परियोजनाओं पर विचार करना और उन्हें तैयार करना|

(4) अध्यक्ष के अनुमोदन से रविन्द्र मंच का वार्षिक बजट तैयार करना और उसे राज्य सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा अनुमोदित कराना |

(5) रविन्द्र मंच की वार्षिक रिपोर्ट और लेखे तैयार करना और उनकी प्रतिवर्ष संपरीक्षा कराना |

(6) रविन्द्र मंच और उसके परिसरों को ऐसे नियमों और शर्तों पर पट्टे/संविदा पर देने के लिए विचार और सिफारिश करना जिनका कि रविन्द्र मंच सोसाइटी के हित सिफारिश की जाये और जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाये |

(7) सामान्य कार्य के अलावा ऐसा बाहरी कार्य लेना , जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाये|

(8) प्रशासनिक ,प्रबंधकीय और वित्तीय विषयों से संबंधित नियम , उप-विधियाँ बनाना |

(9) विशेष मामलों में किराया प्रभारों में रियायतें देना|

(10) ऐसी समिति और उप-समितियों की नियुक्ति करना जो सोसाइटी के कार्यभार के दक्षतापूर्वक नियुक्ति और नियोजन के लिए आवश्यक हो|

(11) सरकार के अनुमोदन से सोसाइटी के स्टाफ़ के लिए सेवा नियम बनाना|

12. सोसाइटी की निधि:-

(1) सोसाइटी की निधियों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(a) सोसाइटी के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा दिए गये अनुदान, अनुदेशन, दान , अभिदान ,अग्रिम और उधार |

(b) ऑडीटोरियम (सभागृह) / पूर्वाभ्यास कक्ष की बुकिंग और मंच भवन के अन्य हिस्सों को पट्टे से हुई प्राप्तियां|

(c) सोसाइटी द्वारा अर्जित किन्हीं अन्य आस्तियों से हुई आय|

(2) सोसाइटी द्वारा बनायी गयी किन्हीं भी उप-विधियों या दिए गये निर्देशों के अध्यधीन सोसाइटी द्वरा या उसकी और से प्राप्त किया गया सारा धन किसी भी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में सोसाइटी के नाम से खोले जाने वाले एक या अधिक खातों में सदद किया जायेगा और सोसाइटी के प्रबंधक और अध्यक्ष / उपाध्क्ष द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित चैक के बिना , प्रत्याहित नहीं किया जायेगा |

13. सदस्यों की पदावधि :

(1) कोई पदेन-सदस्य, अपने द्वारा धारित पद के आधार पर सोसाइटी का सदस्य होगा और उस तारीख़ से, जब से वह उस पद पर नहीं रह जाता, सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा |

(2) सरकार द्वारा सोसाइटी के सदस्य के रूप में नाम - निर्दिष्ट कोई अशासकीय सदस्य, सोसाइटी के सदस्य के रूप में अपने नाम निर्देशन के लिए सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित पत्र की सोसाइटी द्वारा, सरकार से प्राप्ति की तारीख़ से , सोसाइटी का ऐसा सदस्य हो जायेगा | नाम निर्दिष्ट अशासकीय सदस्य अपने नाम – निर्देशन के अधिप्रमाणित पत्र की प्राप्ति की तारीख़ से क्रमवर्ती दो वर्षों के लिए पद – धारक करेगा | ऐसा कोई भी सदस्य प्रत्येक दो वर्षों की दो अवधियों से अधिक के लिए नाम निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा |

(3) (a) सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अशासकीय सदस्य, उस उद्देश में सदस्य नहीं रह जायेगा यदि :-

(1) उसकी मृत्यु हो जाने पर या वह पद त्याग कर दे या ..... हो जाये या दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाये या नैतिक..... करने वाले किसी आपराधिक अपराध में सिद्ध-दोष ठहराया जाये या शारीरिक रूप से अयोग्य हो जाए|

(2) वह अध्यक्ष को लिखित रूप से पूर्व-सूचना दिए बिना, सोसाइटी की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं हो|

(b) सरकार की किसी सदस्य को ,उस दशा में जबकि उसका इस बात के समाधान हो जावे कि ऐसा सदस्य प्रत्यक्ष: या अप्रत्यक्ष: किसी किसी ऐसी एजेंसी से हितबद्ध है , जिसके साथ सोसाइटी का क़ारोबार है या फिर किन्हीं अन्य कारणों से , सोसाइटी की सदस्यता से हटाने का अधिकार होगा|

(c) जब कोई व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य नहीं रह जाये तो सचिव इस तथ्य की सूचना रजिस्ट्रार ऑफ़ सोसाइटीज़ राजस्थान, जयपुर और राज्य सरकार को तुरंत देगा|

(4) सोसाइटी की सदस्यता में हुई मध्यावधि रिक्तियों के मामले में सरकार ऐसी रिक्तियों के प्रति व्यक्तिओं को नाम – निर्देशित करेगी किन्तु इस प्रकार नाम –निर्दिष्ट व्यक्ति सोसाइटी में (रिक्त पद की) शेष अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट सदस्य होंगे |

14. राज्य सरकार , स्वप्रेरणा से या सोसाइटी की कुल सदस्यता के तीन चौथाई सदस्यों से अन्य के निवेदन पर संविधान को संशोधित कर सकेगी

15. सोसाइटी का अतिष्ठन :

(1) यदि राज्य सरकार की राय में रविन्द्र मंच सोसाइटी इस संविधान के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में सक्षम न रहे या उनके पालन में लगातार व्यक्तिक्रम करे या अपनी शक्तियों से बाहर कार्य करे या उनका दुरूपयोग करे, तो राज्य सरकार , राज्य के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके, उसे प्रतिष्ठित कर सकेगी और सोसाइटी के कृत्यों को चलाने और उनका पालन करने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगी |

(2) सोसाइटी के ऐसे अतिष्ठन पर,रविन्द्र मंच सोसाइटी अपने समस्त निकायों और समितियों के साथ भंग हो जायेगी|

(3) प्रशासक , ऐसे विशेषज्ञों की सहायता से , जो कि उसके द्वारा राज्य सरकार की सम्मति से नियुक्त किये जायें, उन समस्त शक्तियों का प्रयोग और उन समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि..... रविन्द्र मंच सोसाइटी में निहित है |

16. निरीक्षण :

रजिस्ट्रार ऑफ़ सोसाइटीज़ सोसाइटी, राजस्थान , जयपुर सोसाइटी के कार्यकलाप का निरीक्षण करने के लिए सशक्त होगा |

17. राज्य सरकार को सामान्य शक्तियाँ :

सरकार , जब भी आवश्यक समझा जाये, निर्देश ज़ारी करने के लिए सशक्त होगी और सोसाइटी उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी|